

अनुमति-पत्र

61

/न० अ० बि०

दिनांक

27-4-12

मुहर

दिनांक 20



नगर अभियन्ता (भवन)
कृते उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण, वाराणसी ।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा ।

शर्तें :-

1. आपको स्थल पर प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ की दर से 15 पेड़ लगाना होगा।
2. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
3. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि० 08.04.12 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
4. भवन में ढॉचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
5. आपको किसी प्रकार का वाह्य लिवेज नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त कर करना होगा।
6. शासनादेश सं०-570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश सं०-772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
7. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
8. भवन निर्माण सामग्री अपने भूमि पर रखने हेतु शपथ पत्र दिया गया है, जिसका अनुपालन करना होगा।
9. भू-स्वामित्व एवं रास्ते से सम्बन्धित कोई विवाद/तथ्य उजागर होता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक एवं बिल्डर की होगी एवं मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10. कूड़ा संचयन व निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं सोलर वाटर हीटिंग की व्यवस्था स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।

(Handwritten signature)

नगर अभियन्ता (भवन)

बिकास प्राधिकरण, वाराणसी